

[18/12/2019]

प्रश्न सं. [क. 876]
Office of the Controller Food and Drugs Administration
Madhya Pradesh

No. IV/V.S./July-02/2019 /6013

Bhopal, dated 25/11/2019

To,

Managing Director,
National Pharmaceutical Pricing Authority,
5th floor YMCA cultural building, 1- Jai Singh Road,
New Delhi 453331.


Sub: Vidhan Sabha starred Question No. 876 by Shri Giriraj Dandotiya, Hon'ble
M.L.A.

Ref: This office letter No. IV/V.S./July-02/2019/3475 dated 09-07-2019.

Sir,

On the above cited subject & referred letter it is requested to kindly provide information regarding any action taken from your side under this matter. For ready reference copy of referred letter is enclosed.

Encl: As above.



Deputy Drugs Controller
Food and Drugs Administration
Madhy Pradesh

Endt. No. IV/V.S./July-02/2019 /6014

Bhopal, dated 25/11/2019

Copy to:

1. State Drugs Controller, Nagar panchayat Bhawan, Sai Road, Baddi, Dist. Solan. You are requested to take necessary action please in the matter.
2. Drug Licensing Authority, Department of Medical Health Services, Danran. 396220. You are requested to take necessary action please in the matter.


Deputy Drugs Controller
Food and Drugs Administration
Madhy Pradesh

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक - 10/11/2019

वर्ग 2 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 18/12/2019 विभाग का नाम : लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
विषय प्रश्न स.क्र. (3489) से संबंधित।

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 876) श्री गिरिजा उण्डीतिया

क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 3489, दिनांक 23 जुलाई 2019 के उत्तर भाग (ख) एवं (ग) के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार दी है कि दिनांक 09.07.2019 को कार्यालय नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रसाधन द्वारा समस्त औषधि निरीक्षक मध्यप्रदेश प्रथम व राष्ट्रीय औषधि मूल निर्धारण प्राधिकरण औषधि विभाग भारत सरकार नई दिल्ली को पत्र लिखा है? (ख) यदि हाँ तो उपरोक्त पत्र दिनांक से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पत्रों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाहियाँ हुई, की जानकारी उपलब्ध करावे। यदि नहीं तो क्या इस हेतु स्मरण पत्र भी भेजे गए हैं? यदि हाँ तो प्रति दी जावे।

कार्यालय नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन,
मध्यप्रदेश

क्रमांक- चार/वि.स./जुलाई-02/2019 /6015

भोपाल, दिनांक 28/11/2019

प्रति,

समस्त औषधि निरीक्षक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश।

विषय-- विधानसभा - तारांकित प्रश्न क्रमांक 876 श्री गिरिजा उण्डीतिया, माननीय विधायक।

उपरोक्त विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 876 के संबंध में वांछित जानकारी तत्काल दो दिवस के अंदर भेजना सुनिश्चित करें ताकि समय सीमा में प्रश्न का उत्तर भेजा जा सके।

इस संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक चार/वि.स./जुलाई-02/2019/3473 दिनांक 09.07.2019 के द्वारा विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 3486 के आलोक में निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देशों के परिपालन में आपके द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी भी उपरोक्त उल्लेखित समय सीमा के अंदर भेजना सुनिश्चित करें। सुलभ संदर्भ हेतु कार्यालयीन पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

नियंत्रण/प्राधिकारी

उप औषधि नियंत्रक,

खाद्य एवं औषधि प्रशासन,
मध्यप्रदेश

पृक्रमांक- चार/वि.स./नवम्बर-01/2019 /6016

भोपाल, दिनांक 28/11/2019

प्रतिनिधि-

समस्त संपासंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्धारित समय सीमा में संबंधित औषधि निरीक्षकों से उक्त जानकारी तैयार करवाकर इस प्रशासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

नियंत्रण प्राधिकारी

उप औषधि नियंत्रक,

खाद्य एवं औषधि प्रशासन,
मध्यप्रदेश